माननीय उप मुख्यमंत्री–सह–वित्त वाणिज्य–कर मंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद को वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए बिहार चैम्बर ऑफ कॉमस एण्ड इण्डस्ट्रीज के द्वारा समर्पित ज्ञापन

पर्यावरण एवं प्रदूषण से संबंधित सुझाव

1. बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा राज्य के औद्योगिक इकाईयों से संबंधित यदि कोई नया प्रावधान लाया जाता है तो उसके कार्यान्वियन के पूर्व उद्यमियों को अच्छी तरह से Awareness Programme आयोजित कर जानकारी दिया जाना चाहिए क्योंकि अधिकतर उद्यमी कम पढ़े–लिखें हैं और उन्हें बहुत से कानूनों की जानकारी नहीं होती है ।

2. यदि कोई उद्योग द्वारा बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को अनुज्ञप्ति हेतु निर्धारित शुल्क के साथ आवेदन किया जाता है और किसी कारणवश वह आवेदन रद्द हो जाता है तो पुनः आवेदन करने पर पर्षद की ओर से फिर से निर्धारित शुल्क जमा कराने को कहा जाता है । जबकि उद्यमी की ओर से पहले ही आवेदन शुल्क जमा किया जा चुका है । एक ही कार्य के लिए दो बार शुल्क की मांग करना व्यवहारिक प्रतीत नहीं होता है ।

3. बिहार राज्य प्रदूषण बोर्ड द्वारा राज्य के उद्योगों से संबंधित विभिन्न समाचार–पत्रों में जो विज्ञापन प्रकाशित किया जाता है वह धमकी भरा होता है जिससे राज्य के उद्यमियों में भय व्याप्त हो जाता है और हत्तोत्साहित होते हैं अतः इस प्रकार के विज्ञापन पर अंकुश लगाया जाना चाहिए ।

4. ध्वनि प्रदूषण पर माननीय पटना उच्च न्यायालय ने भी प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है परन्तु अभी भी ऐसा देखा गया है कि प्रतिबंधित अवधि जो रात्रि 10 से सुबह 6 बजे तक की है, इसमें भी Loud Speaker बजाया जाता है । अतः इसका सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए । साथ ही पटना के विभिन्न भागों में अवस्थित होटलों एवं मैरेज हॉल के बाहर सख्ती से अनुपालन का बोर्ड लगाया जाना चाहिए तथा उक्त बोर्ड में इसके Violation पर उसकी सूचना देने के लिए संबंधित पदाधिकारियों का मोबाइल नम्बर भी दिया जाना चाहिए । शादी–विवाह में देर रात को बजनेवाले डीजे, बैण्ड आदि पर सख्ती से रोक लगाए जाने की आवश्यकता है ।

क्रमशः.....2

5. व्यवसाय एवं उद्योग में बहुत सारे खतरनाक (Hazards) electronic or non-electronic कचरा निकलता है जिसके निस्तारण (Disposal) का प्रावधान e-waste collection के भांति किया जाना चाहिए ।

6. राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (National Clean Air Programme)में बिहार के 10प्रमुख शहरों यथा – पटना, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा, कटिहार आदि को समाहित करने हेतु आपके स्तर से अनुशंसा किया जाना चाहिए ।

7. वायु प्रदूषण की समस्या आय दिन बढ़ती जा रही है । हवा को खींचकर फिलटर की मदद से हवा में घुले सभी छोटे–छोटे कणों को छानकर वायुमंडल में साफ हवा छोड़ने के लिए पटना में भी मशीन लगाने का प्रस्ताव था इसका कार्यान्वयन शीघ्र कराया जाना चाहिए ।

8. मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत वाहनों में लगे हॉर्न की तीव्रता (decibel) निर्धारित है लेकिन पटना शहर के बस, सरकारी एवं निजी वाहनों के हॉर्न की तीव्रता निर्धारित decibel से अधिक है । इस पर रोक लगाना चाहिए क्योंकि इसका प्रतिकूल प्रभाव व्यक्ति के श्रवण क्षमता को बूरी तरह प्रभावित कर रहा है । तीव्र ध्वनि को मनुष्य का मस्तिष्क विश्लेषण नहीं कर पाता है जिसके फलस्वरूप व्यक्ति या तो क्रोधित हो जाता है या उसका रक्तचाप बढ़ जाता है।

9. भारत सरकार के केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज का प्रतिनिधित्व हेतु आपके स्तर से अनुशंसा किया जाना चाहिए ।

10. China विश्व का सबसे बड़ा air purifier shaanxi province के xian में स्थापित किया है जो 10 sq km दायरे के हवा को शुद्ध कर देता है। इस तरह के technology को हमें भी अपनाना चाहिए जिससे Big City के हवा को शुद्ध किया जा सकता है।

****

पटना
दिनांक: 3 फरवरी 2021